POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2018/अंक 12

मासिक प्रेषण दि. 8 दिसम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 दिसम्बर, 2018 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! राज्य विधानसभा के लिए मतदान सम्पन्न हुआ। मतगणना 11 दिसम्बर को है। भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही दलों में इस बार बागियों ने खेल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं रखी। ग्रामीण मतदाताओं ने भी नेताओं से कई तीखे सवाल किए। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से इस बार भाजपा की राह कुछ मुश्किल दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस भी मतदाताओं पर अपना खास प्रभाव नहीं जमा पाई।

ज्यादातर ग्रामीण मतदाताओं का मानना है कि वर्तमान सरकार अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी। घोषणाएं तो खूब हुई पर धरातल पर काम दिखाई नहीं दिया। मसलन, अजमेर के बोराड़ा गांव की प्रियंका का मानना है कि वर्तमान सरकार ने गांवों के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई उनका लाभ आम आदमी तक कुछ ही हद तक पहुंच पाया है।

'ग्राम गदर' जनमत सर्वेक्षण 2018 के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 53 फीसदी लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या माना है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि प्रदेश की नई सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने, सरकार को अपने वादों पर कायम रहना चाहिए। ऐसी योजनाएं बने जिससे गांवों का विकास हो और लोगों को रोजगार के अवसर मिले।

सवाई माधोपुर के मेवाराम गुर्जर का कहना है कि हर साल सरकार जो बजट और योजनाएं बनाएं उनके लिए निर्धारित पूरा पैसा ईमानदारी से खर्च हो और सरकार चुनाव में की गई घोषणाओं को समय पर पूरा करें। कुल मिलाकर जो भी पार्टी सरकार बनाएं, वो अपने चुनावी घोषणाओं पर ईमानदारी से अमल करें और यह सुनिश्चित हो कि प्रत्येक वादे को समयबद्ध तरीके से अगले पांच सालों में पूरा कर लिया जाए।

प्रदर्शन में से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

आंदोलनों या विरोध प्रदर्शनों के दौरान भीड़ के उपद्रव से होने वाले नुकसान की भरपाई उसी राजनीतिक दल या संगठन को करनी होगी जिसके आह्वान पर लोग जमा हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने एक अहम फैसले में इससे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

- राज्य सरकारें जिला स्तर पर ऐसी त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाएं जो भीड़ की हिंसा से तुरंत निपटने में सक्षम हो। भीड़ को रोकने के लिए पानी की बोछारों, आंसू गैस जैसे गैर-हानिकारक तरीकों के इस्तेमाल पर विचार किया जाए।
- नोडल अधिकारी भीड़ को काबू में करने के लिए ऑडियो-विजुअल माध्यमों से संदेश भेजकर अफवाहों को रोकने का समन्वित प्रयास करें। इसके लिए सोशल मीडिया से लेकर रेडियो, टीवी इत्यादि संचार माध्यमों का इस्तेमाल हो।
- संपत्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष नुकसान होने पर प्रदर्शन की अपील करने वाले समूह या संगठन या किसी व्यक्ति के खिलाफ आइपीसी की धारा 153 (ए), 295 (ए), 298 व 425 के तहत कार्रवाई की जाए।
- विरोध या प्रदर्शन के दौरान उपद्रव में नुकसान होने पर 24 घंटे के भीतर समूह/संगठन के नेता और अधिकारी संबंधित थाने में उपस्थित होकर पूछताछ में सहयोग करें।

हाउसिंग बोर्ड हर्जाने सहित 36 साल पुरानी शर्तों पर मकान दें

राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर में नवरतन नाहटा व गौरव नाहटा ने अपने वकील आदित्य मित्रुका के जरिए जयपुर स्थित राजस्थान आवासन मंडल के खिलाफ परिवाद दायर किया। मित्रुका ने आयोग को बताया कि आवासन मंडल की योजना में 1982 में आवेदन किया गया था और परिवादीगण को मकान आरक्षण की सूचना भी मिल गई। इस पर उन्होंने 20 हजार रुपए का चैक भी जमा करार दिया। लेकिन मकान आवंटन नहीं हुआ।

आवासन मंडल ने स्ववित्त पोषित योजना के तहत सहमति नहीं देने का हवाला देते हुए उनका आवंटन ही निरस्त कर दिया। उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष परसराम मोरदिया को इस बारे में ज्ञापन दिया तो तथ्यों के आधार पर पंजीयन बहाल कर दिया गया। लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार के पंजीयन बहाली के आदेश को निरस्त कर दिया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने परिवादी का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही को सही नहीं माना। आयोग ने आवासन मंडल को न केवल 36 साल पुरानी वरीयता के आधार पर मकान देने, बल्कि मानसिक संताप व परिवाद खर्च के रूप में साढ़े पांच लाख रुपए का हर्जाना भी अदा करने का आदेश दिया है। आयोग ने इन सबके साथ परिवाद पेश करने की तारीख से नौ फीसदी ब्याज भी देने का निर्देश दिया है।

अमीरों व गरीबों के बीच बढ़ती खाई

देश में अमीर और गरीब के बीच असमानता बढ़ती जा रही है। एक तबके के पास विलासिता के लिए खूब धन उपलब्ध है वहीं दूसरी ओर गरीबों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरसना पड़ता है। देश में पूंजीपतियों की आय में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

दूसरी तरफ बड़ी आबादी को दो जून रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। जबकि वंचित लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार होना चाहिए। ग्रामीण गरीब परिवारों की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। रोजगार की कमी से वे मुख्य धारा से कटते जा रहे हैं। जबकि जरूरत ग्रामीण भारत को विकास की मुख्य धारा से जोड़े जाने की होनी चाहिए।

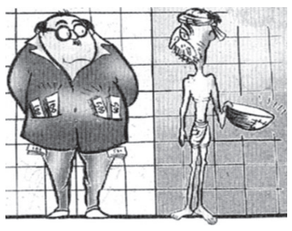

सवा लाख कृषि कनेक्शन पेंडिंग

प्रदेश में किसानों को समय पर बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छह साल पहले यानी जनवरी 2012 से भी पहले कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके और डिमांड राशि जमा कराने के बावजूद प्रदेश के तीनों डिस्कॉम में सवा लाख से भी ज्यादा बिजली कनेक्शन बकाया हैं। जबकि किसानों से एक कनेक्शन पर 20 से 50 हजार रुपए तक लिए जा चुके हैं।

किसानों द्वारा राशि जमा कराने के बाद भी कृषि कनेक्शन नहीं मिलना सिस्टम की मॉनिटरिंग पर सवाल खड़ा कर रहा है। जोधपुर डिस्कॉम में सबसे ज्यादा 47 हजार, जयपुर डिस्कॉम में 42 हजार और अजमेर डिस्कॉम में 39 हजार खेतों को बिजली कनेक्शन देना बकाया है।

नरेगा में पिछड़ने से बढ़ी चिंता

राज्य में नरेगा योजना के तहत विभिन्न कार्यों में बढ़ोतरी की जगह पिछले दस साल में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। इससे राज्य सरकार की बढ़ी चिंताओं के साथ ही जिला परिषदों की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

नरेगा आयुक्त ने हाल ही में कार्यों से जुड़े 15 पैरामीटर्स के आधार पर सभी जिलों की तुलना की थी। इसमें दस सालों में गिरावट सहित कई बड़े जिलों के नाम कम प्रगति में शामिल हैं। कई जिले मॉनिटरिंग, समय पर भुगतान और श्रमिक बढ़ाने के लक्ष्य में भी फिसड्डी रहे हैं।

किसान नहीं जानते एमएसपी क्या हैं?

राज्य का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के भंवर में उलझकर चक्कर ही खाता रहा है। सरकार हर बार एमएसपी बढ़ाकर किसान को सपने दिखाती है मगर 30 प्रतिशत से ज्यादा खरीद कभी कर ही नहीं पाती। क्योंकि न तो सरकार के पास उत्पादन के अनुपात में गोदाम है और न ही सरकारी खरीद का सशक्त तंत्र। ऐसे में करीब 70 प्रतिशत किसान कम कीमत पर बाजार में अपनी उपज बेचकर घाटा खाने को मजबूर रहते हैं।

हालात यह हैं कि हर सीजन में ज्यादातर कृषि उत्पाद एमएसपी से करीब 25 से 35 फीसदी नीचे दाम पर घरेलू मंडियों में बिक रहे हैं। सरकार को भंडारण की सही व्यवस्था व कृषि जिंसों की खरीद के लिए सशक्त तंत्र विकसित करना चाहिए।

उर्वरकों ने बिगाड़ा मृदा का स्वास्थ्य

प्रदेश के कृषि क्षेत्र में हो रहे रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से करीब 75 प्रतिशत मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। इससे मृदा में सूक्ष्म तत्वों की लगातार कमी हो रही है। जिसका बुरा असर फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों पर पड़ रहा है। किसानों को अपने स्वास्थ्य की तरह मृदा के स्वास्थ्य का भी खयाल रखना चाहिए।

यह बात जयपुर स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में आयोजित एक कार्यशाला में उभर कर सामने आई। कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि परीक्षण में 40 प्रतिशत मृदा में सल्फर और 50 प्रतिशत में जस्ते की कमी पाई गई है। किसानों को देशी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए।

खुद के स्तर पर किए जैविक प्रयोग

भीलवाड़ा के गांव कोदूकोटा के किसान हरिशंकर व्यास परंपरागत खेती से हटकर बागवानी कर रहे हैं। उन्होंने बुआई से लेकर पौधों की बढ़वार के लिए जैविक खेती के तरीके अपनाए हैं और खुद के स्तर पर जैविक खेती के प्रयोग भी किए हैं। उन्होंने दो हैक्टेयर में 50 आम, 200 नींबू और 90 आंवले के पौधे लगा रखे हैं।

इसके साथ ही वह तीन हैक्टेयर भूमि में खेती व पशुपालन करते हैं। उन्होंने 100 गुणा 50 वर्गफीट का शेड बनाया है और उसमें तोरई, लौकी, गिलकी, करेला आदि बेल वाली सब्जियां लगा रखी हैं। नींबू, आम और आंवले के पौधों से सालाना 2 लाख की अतिरिक्त कमाई हो रही है साथ ही सब्जियों से नियमित आय मिलती है। इस बार व्यास जिलास्तरीय कृषि मेले में फसल प्रतियोगिता में प्रथम रहे हैं।

जल प्रबंधन पर लगा प्रश्न चिन्ह

राजस्थान में सूखते हुए जल स्त्रोत जल प्रबन्धन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों को शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध नहीं है। यहां सबमर्सिबल पंपों से भूमि के निचले स्तर तक जल का दोहन हो रहा है। कृषि की वैज्ञानिक जानकारी का अभाव होने से किसान 15 फीसदी पानी का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं।

जल संकट से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने के साथ-साथ समुचित भंडारण की व्यवस्था करनी होगी। वर्षा जल के संरक्षण एवं संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए पुख्ता कार्यवाही करनी होगी। प्रदेश में जल स्वावलंबन अभियान सार्थक परिणाम दे रहा है।

बेरोजगारी है सबसे बड़ी समस्या

प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी हैं। 'ग्राम गदर' जनमत सर्वेक्षण 2018 में सामने आया है। राज्य की मुख्य समस्याओं के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में करीब 53 फीसदी लोगों ने बेरोजगारी की समस्या को सबसे बड़ा बताया। सर्वे में अपने विचार व्यक्त करते हुए भीलवाड़ा जिले के प्रेम कुमार बलाई ने प्रदेश में आने वाली नई सरकार से अपेक्षा की है कि वह अपने वादों पर कायम रहे और बेरोजगारी की समस्या को दूर करे। इसी से आमजन का भला हो सकेगा।

बांरा से सुलोचना देवी ने कहा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार के पास इसके आंकड़े तक नहीं हैं। नई सरकार को रोजगार बढ़ाने के मौके बनाने होंगे। सर्वे में लोगों ने नई सरकार को रोजगार बढ़ाने के लिए अपने-अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए है।

भुखमरी से पीड़ित देशों में भारत महान

संयुक्त राष्ट्र द्वारा भुखमरी पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक भुखमरी से पीड़ित देशों में भारत का नाम भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्यान्न वितरण प्रणाली में सुधार तथा अधिक पैदावार के लिए कृषि क्षेत्र में नए अनुसंधान के बावजूद भारत में भुखमरी के हालात बदतर होते जा रहे हैं।

दुनियाभर के देशों में भुखमरी के हालात का विश्लेषण करने वाली गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले साल भारत दुनिया के 119 देशों के हंगर इंडेक्स में 97वें स्थान पर था। जो इस साल फिसलकर 100वें स्थान पर आ गया है। शर्मनाक यह है कि भारत ने सस्ते अनाज की वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने को लेकर कुछ ठोस काम नहीं किया।

छोटे उद्योगों को दिवाली का तोहफा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छोटे उद्योगों को तुरंत और सस्ता ऋण देने, निरीक्षकों से मुक्ति प्रदान करने, सरकारी कंपनियों में 25 प्रतिशत अनिवार्य खरीद तथा निर्यात कारोबारियों को ब्याज में पांच प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया है।

मोदी ने दिवाली के मौके पर 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग-सहयोग एवं संपर्क' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छोटे उद्यमियों को एक करोड़ रुपए तक के ऋण अब मात्र 59 मिनट में स्वीकृत होंगे और उस पर दो फीसदी की छूट भी दी जाएगी। इसके साथ ही छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने उनके हक में 12 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

ग्रामीण डाक सेवकों की सोचे सरकार

देश में कई वर्षों पूर्व अतिरिक्त ग्रामीए डाक सेवकों (ई डी कर्मचारियों) की समस्याओं को लेकर आंदोलन चलाया गया था, जिसे 'ग्राम गदर' के माध्यम से भी उठाया गया था। इस अभियान में अनेकों अतिरिक्त डाक कर्मचारी 'कट्स' के साथ जुड़ें।

इन अतिरिक्त डाक कर्मचारियों की सुनवाई के लिए तलवार समिति बनी और कुछ बदलाव भी आया। इन्हें कुछ लाभ व सुविधाएं मिली, लेकिन स्थिति पूरी तरह से सुधरी नहीं। देश की आजादी के 70 साल के बाद भी ग्रामीण डाक सेवक तीन से पांच घंटे के कार्य समय में कार्य कर रहे हैं। इनका वास्तविक रूप से विभागीय करण नहीं किया गया है।

वस्तुस्थिति यह है कि बढ़ते काम के दबाव के कारण इन डाक कर्मचारियों के लिए 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कार्य की दरकार है। शहरी क्षेत्रों के डाक सेवकों की तुलना में ग्रामीण डाक सेवकों को दी जाने वाली कम सुविधाओं और अन्य भत्तों में फर्क एक भेदभाव पूर्ण व्यवहार है। अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार इस दिशा में कुछ कारगर सोचे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर